भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2431
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आठवीं अनुसूची में तुलु भाषा का समावेशन

+2431 कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कासरगोड के लोगों ने मांग की है कि तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई प्रक्रिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) पाहवा (1996) और सीताकांत महापात्र (2003) समिति के प्रयासों के बाद से जनभावनाओं और अन्य प्रासंगिक विमर्शों को ध्यान में रखते हुए आठवीं अनुसूची के अंतर्गत और अधिक भाषायी समावेशन के अनुरोध पर विचार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तुलु भाषा सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांग समय-समय पर उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2431, दिनांक 06.08.2024

माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

*****